

क्रमांक:—F2(226)/DoIT&C/2022/ 02887/2025

जयपुर, दिनांक: 16/07/2025

आदेश

राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15(1) वित्त (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 और स्पष्टीकरण क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम)2008 दिनांक 12.01.2018 एवं प.15(88)FD/ Rules /2017 दिनांक 27.02.2022 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को सूचना सहायक के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर, उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में उल्लेखित दिनांक से सूचना सहायक के पद की प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल-10 में स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	मेरिट न.	सूचना सहायक का नाम	वर्तमान पदस्थापित विभाग/कार्यालय	सूचना सहायक के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक	प्रथम ए.सी. पी. देय दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	W-633	राजकुमार पुत्र श्री सोहन लाल	कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ब्लॉक नावां, डीडवाना-कुचामन	30-05-2016	30-05-2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
2	W-646	रविराज सिंह चारण	कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ब्लॉक अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	03-06-2016	03-06-2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
3	W-713	राम लाल जाट	डी.जी (आंतरिक सुरक्षा सेल) पुलिस, गृह विभाग, जयपुर	20-06-2016	20-06-2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
4	W-39	रविन्द्र सिंह राठौड़	जिला रसद अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, झुंझुनू	21-06-2016	21-06-2025	
5	W-732	राकेश कुमार नागा	उपखण्ड अधिकारी, राजस्व विभाग, जोबनेर, जयपुर	23-06-2016	23-06-2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
6	W-31	धर्मचन्द धींगडा	संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार), बीकानेर	23-06-2016	23-06-2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर
7	W-1327	रेनु बाला	जिला कार्यालय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग, हनुमानगढ़	17-06-2016	17-06-2025	9 वर्ष की एपीएआर जांच के आधार पर

उपर्युक्त सारणी में क्र.सं 1-3, 5-7 पर अंकित सूचना सहायकों के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 09 वर्ष में से 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आशवासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

P.T.O.

उपरोक्त सभी सूचना सहायको का वेतन निर्धारण सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा वित्त विभाग की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के नियम 14 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार किया जाकर प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) के आदेश एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि का इन्द्राज नियमानुसार कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जाना सुनिश्चित किया जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर भी यह सुनिश्चित किया जाये कि इन्हे:-

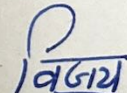
1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत नहीं की गई है।
3. इनके विरुद्ध सी.सी.ए. 16/17 के तहत कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है।
4. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक सीसीए नियमों के तहत किसी प्रकार के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है।
5. गत सेवाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमित/निरन्तर मिल रही है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(संजय जगदीश कर्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. सम्बंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
3. प्रभारी अधिकारी (वेबसाइट), वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. सम्बंधित सूचना सहायक।
5. सम्बंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


प्रशासनिक अधिकारी